

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
 जमवारामगढ़ जयपुर

संख्या / वर्ष : 421/2019 : _____ / 20


बनाम केलाश

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

14-12-2020 पत्रावली पेश वकील चंद्र/उप
 पत्रावली पुनर्पुनः वास्तु तलबी/जमानत
 दिनांक 22/2/2021 को पेश हो।

17-12-2020 पत्रावली आज दादा विद्वां प्रकृत पत्र
 उत्पन्न करने पर तलबी की गई।
 प्रतीक/वादिता अत्रिपे अधिवक्ता श्री
 वादकण शर्मा ने विद्वां प्रकृत पत्र
 उत्पन्न कर निकाल किया है कि
 उक्त में वादिता कागे कुछ भी
 कार्यवाही नहीं चाहती है इस लिए
 वाद को आज ही विद्वां किया जाने
 वादिता की पहचान एडवोकेट श्री
 वादकण शर्मा ने की।

पत्रावली को कलोकन किया तथा
 वकील वादिता की विद्वां दादा प्रकृत
 पत्र पर कटस सुनी गई। वकील
 वादी को कटस सुनने के उपरान्त
 वादिता को वाद विद्वां प्रकृत
 पत्र स्वीकार कर विद्वां करने की
 स्वीकृति दी जाती है। वादिता को वाद
 विद्वां कर खारिज किया जाता है
 पत्रावली फेरल सुहाल होल गवा
 से कर है।

ति-गीत
 Delected by


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
 जमवारामगढ़ जयपुर